



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 313 राँची, मंगलवार,

22 जून, 2021 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

22 जून, 2021

संख्या- 06/टी०ए०सी०-02/2021-1192-- Jharkhand Tribes Advisory Council Rules, 2021 के नियम- 3 एवं 4 के आलोक में Jharkhand Tribes Advisory Council का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	पदनाम
1	2	3
1	श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2	श्री चम्पाई सोरेन, मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर)	पदेन उपाध्यक्ष
3	प्रो० स्टीफन मरांडी, सदस्य विधानसभा	सदस्य
4	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, सदस्य विधानसभा	सदस्य
5	श्री बाबूलाल मरांडी, सदस्य विधानसभा	सदस्य
6	श्री बंधु तिर्की, सदस्य विधानसभा	सदस्य
7	श्रीमती सीता सोरेन, सदस्य विधानसभा	सदस्य

8	श्री दीपक बिरूवा, सदस्य विधानसभा	सदस्य
9	श्री चमरा लिण्डा, सदस्य विधानसभा	सदस्य
10	श्री कोचे मुण्डा, सदस्य विधानसभा	सदस्य
11	श्री भूषण तिर्की, सदस्य विधानसभा	सदस्य
12	श्री सुखराम उरांव, सदस्य विधानसभा	सदस्य
13	श्री दशरथ गगराई, सदस्य विधानसभा	सदस्य
14	श्री विकास कुमार मुण्डा, सदस्य विधानसभा	सदस्य
15	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, सदस्य विधानसभा	सदस्य
16	श्री राजेश कच्छप, सदस्य विधानसभा	सदस्य
17	श्री सोनाराम सिंकू, सदस्य विधानसभा	सदस्य
18	श्री विश्वनाथ सिंह सरदार (अनुसूचित जनजाति) मनोनीत पिता- श्री असित कुमार सिंह सरदार, पता-ग्राम-रूपसाम, पो०-बोड़म, पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम।	मनोनीत सदस्य
19	श्री जमल मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) मनोनीत पिता-स्व० सुदेश मुण्डा, पता - ग्राम-चिलदाग, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची।	मनोनीत सदस्य

- (2) प्रधान सचिव / सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची Jharkhand Tribes Advisory Council के सचिव होंगे।
- (3) Jharkhand Tribes Advisory Council एवं सदस्यों का कार्यकाल Jharkhand Tribes Advisory Council Rules, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- (4) Jharkhand Tribes Advisory Council द्वारा कार्यों का निष्पादन Jharkhand Tribes Advisory Council Rules, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) इस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- (6) यह तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

नेसार अहमद,
सरकार के विशेष सचिव।
